

**FIRST INFORMATION REPORT**  
**(Under Section 154 Cr.P.C.)**

1. **District:** STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year:** 2015 **FIR No:** 47 **Date:** 24.11.2015

2. **Act(s):** **Section(s)**  
(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 7/8  
(ii)  
(iii)  
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** Tuesday **Date From:** 24.11.2015 **Date To:** 24.11.2015  
**Time Period:** **Time From:** **Time To:**  
(b) **Information received at P.S:** **Date:** 24.11.2015 **Time:** 16.00  
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 10 **Time:** 16.00

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S** South /25 Km **Beat No.:** 01  
(b) **Address:** Area Of Distt. Hisar  
(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**  
**Name of P.S:** SVB (H) Hisar **District:** Hisar

6. **Complainant/Informant:**

**Name:** DSP Shareef Singh SVB Hisar  
(a)

(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address:** SVB HSR

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

(i) EHC Arjun Singh 207/HSR PP Balsamand PS Sadar Hisar

8. **Total value of property stolen:**

9

10. **Total value of property stolen:**

11. **Inquest Report/U.D Case No., if any**

12

**F.I.R Contents (attach separate sheet, if**

श्रीमान जी, जांच4 दिनांक29.05.2015 हिसार महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो (ह) पचंकुला के पृष्ठांकन क्रमांक7337/1-3 /SVB (H) दिनांक 01.06.2015 की अनुपालना मे दर्ज रजि० होकर जांच हेतु इस मण्डल मे प्राप्त हुई यह जांच परिवादी रामेश्वर दास पुत्र श्री किशोरी लाल जाति महाजन वासी खारिया की शिकायत के आधार पर दर्ज रजिस्टर की गई थी जिसमे आरोप था कि परिवादी रामेश्वर दास के पुत्र प्रदीप कुमार जो गुडगावं मे मैक्स पैकिपिक कारपोरेशन कम्पनी मे नौकरी करता था जिसको मुकदमा

न० 136 दिनांक 17.02.2015 जैर धारा 307/34 IPC 25/54/59 एक्ट थाना सदर हिसार मे पुलिस चौकी बालसमन्द के ईन्चार्ज राजेन्द्र सिंह उप निरीक्षक , अनिल कुमार मुख्य सिपाही, अर्जुन सिंह ई.एच.सी. ने रामपाल ठेकेदार वासी खारिया से मिलिभगत करके उक्त मुकदमा मे से प्रदीप कुमार का नाम निकालने के ऐवज मे 60000 रुपये की मांग की जो मामला 30000 रुपये की रिश्वत लेने बारे फाईनल हुआ जिसकी रिकार्डिंग शिकायत कर्ता के भतीजे अनूप कुमार के द्वारा की गई । जिसका अनुसंधान कर्ता राजेन्द्र सिंह एस.आई. था । तफतीश के दौरान दिनांक 17.02.15 को दोषियान विकास पुत्र सुबे सिंह ,सन्दीप उर्फ मालिया पुत्र सन्तलाल द्वारा अपना फर्द ईन्साफ दर्ज करवाया जिसमे उन्होने प्रदीप कुमार को भी झगडे मे अपने साथ होना बतलाया इसके उपरान्त श्री राहुल कुमार आई.पी.एस. प्रबन्धक अफसर थाना सदर हिसार द्वारा भी मौका पर तफतीश की गई जो तफतीश मे परिवादी के लडके प्रदीप को निर्दोष पाया गया जिन्होने उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह को दोषियान सन्दीप उर्फ मालिया पुत्र सन्तलाल , विकास पुत्र सुबेसिंह दिनेश पुत्र हनुमान जाति जाट वासियान खारिया जिला हिसार को गिरफ्तार करके गहराई से तफतीश करने के आदेश दिये जो तफतीश मे निशान सिंह वासी खारिया निर्दोष पाया गया । श्री शरीफ सिंह उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा जांच अमल मे लाई गई। जिसमे उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह ने अपने कथन मे माना है कि उसने अधिनिस्थ, कर्मचारी ई.एच.सी. अर्जुन सिंह व एच.सी. अनिल कुमार को आरोपी प्रदीप परिवादी के लडके के घर बुलावे के लिये भेजा था । जांच मे यह पाया गया कि ई.एच.सी. अर्जुन सिंह ने ठेकेदार रामपाल से मिलीभगत करके आरोपी प्रदीप को मुकदमा उपरोक्त से निकालने की ऐवज मे 60 हजार रुपये रिश्वत की राशि की मांग की जो फाईनल डील 30 हजार रुपये मे हुई जांच के दौरान सीडी की रिकार्डिंग का मिलान कानुनी प्रक्रिया के कारण नही हो सका लेकिन सीडी मे यह आवाज ई.एच.सी. अर्जुन सिंह व रामपाल ठेकेदार की प्रतीत होती है । जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट मे ई.एच.सी. अर्जुन सिंह एवं रामपाल ठेकेदार के खिलाफ जुर्म जेर धारा 7,8 भ्रष्टचार अधिनियम न०49 ऑफ 1988 की कार्यवाही करने का सुझाव दिया ।एस.आई. राजेन्द्र सिंह व एच.सी. अनिल कुमार के विरुद्ध ठोस सबुत आने पर मुकदमा के दौरान देखे जाने की सिफारिस सहित रिपोर्ट तैयार करके पुलिस अधिक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार के माध्यम से महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला को भेजी गई । इसके उपरान्त महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला ने पत्र क्रमांक 33301/रा.चौ.ब्यूरो (ह) एच दिनांक 07.09.2015 अनुसार सरकार को भिजवाई तदोपरान्त यह जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ के यादि क्रमांक 71/56/2015-5 चौ. (I) दिनांक 04.11.2015 की अनुपालना मे महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 16302/1-3/SVB(H) दिनांक 06.11.2015के अनुसार ई.एच.सी. अर्जुन सिंह एवं रामपाल ठेकेदार के विरुद्ध धारा 7,8,49/88 PC ACT के तहत अभियोग अकित करने तथा इसके अतिरिक्त तफतीश के दौरान एस.आई. राजेन्द्र सिंह व एच.सी. अनिल कुमार के विरुद्ध ठोस सबुत आने पर कार्यवाही अमल मे लाई जाने कि सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है एस.डी. अनिल कुमार प्रबन्धक अफसर थाना रा.चौ.ब्यूरो (ह) हिसार । अज थाना:- उपरोक्त तहरीर बजरिया डाक महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो (ह) पंचकुला से आज

थाना मे प्राप्त हुई है जिस पर उपरोक्त मुकदमा बा जुर्म दर्ज रजि० करके FIR की प्रतिया तैयार की गई है । स्पैशल रिपोर्ट बजिरया स्पैशल वाहक ASI राजबीर No 20/SRS के ईलाका मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक हिसार को भेजी जा रही है । मन निरीक्षक तफतीश मे मशरुफ होता हुं

**Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:**

- (i) Registered the case and took up the investigation  
(ii) Directed (Name of the I.O.): Anil Kumar

OR

No. H/161

Rank: Insp.  
to take up the investigation, OR

- (iii) Refused investigation due to:

OR

- (iv) Transferred to P.S.(name):  
On point of jurisdiction:

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression  
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer  
Name Anil Kumar  
Rank INSP. . No H/161